न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 (रीवा कैम्प)

1– मनबोध सिंह तनय निर्मल सिंह गोड़

2– बंशगोपाल तनय निर्मल सिंह गोड़

3– जग्यभान सिंह तनय निर्मल सिंह गोड़

4– बंशराखन सिंह तनय निर्मल सिंह गोड़

5– बंशपति सिंह तनय निर्मल सिंह गोड़

सभी निवासी ग्राम कंजवार, तहसील मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

------आवेदकगण

बनाम

1– गौरी सिंह गोड़ पत्नी दलसिंगार सिंह गोड़ साकिन गिजवार, तहसील मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

2– सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवार, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

------अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मझौली, जिला सीधी के प्रकरण क0–80/अपील/02–03 में पारित आदेश <u>दिनांक 16/01/2012</u>

<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959</u>

मान्यवर,

<u>प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–</u>

अ– यह कि ग्राम कंजवार, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 के भूमि खसरा क0–363, 391, 392, 501, 352 किता 5 रकवा 2.71 हे0 के भूमिस्वामी सूदन सिंह गोड़ थे जिसका खानदानी सजरा इस प्रकार है :–

(107)

(132)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1352-I/12 जिला सीधी

मनबोध्य सिंह व अन्य विरूद्ध गौरी सिंह गोड़

1	2	3
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अंजनी कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मझौली के प्रकरण क्रमांक 80/अपील/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7.3.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

है :-